राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.18(25)नविवि / सामान्य / 2014पार्ट   जयपुर, दिनांकः 6 OCT 2022

आदेश

मास्टर प्लान में दर्शित विशेष क्षेत्र के भू–उपयोग निर्धारण हेतु नगरी विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.18(25)नविवि / सामान्य / 2014 पार्ट दिनांक 17.01.2022 तथा स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ.59.डीएलबी / एसटीपी / रिव्यू ऑफ एम.पी.(55) / 17 / 614 दिनांक 07.03.2022 के द्वारा गठित समितियों के स्थान पर राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को अधिकृत किया जाता है।

इस संबंध में भू–उपयोग क्षेत्रानुसार संबंधित निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी / सचिव एवं जोन वरिष्ठ नगर नियोजक की अनुशंषा के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित किये जावेंगे। इस हेतु पृथक से चैकलिस्ट जारी की जावेंगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
7. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. उप विधि परामर्शी / उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम